तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी वाद संख्या– 90/2017 जीतमल डाबरिया बनाम कुशलचंद वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.07.2022

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 नियम 5 जाप्ता दीवानी का निस्तारण किया जा रहा है। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दीवानी–

पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय को यह दर्शित है कि प्रतिवादी संख्या–02 व 03 द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विवाद्यक संख्या– 04 को साबित करने का भार उन पर गलत रूप से डाला गया है जबकि उक्त तनकी को साबित करने का भार अन्य पक्षकार पर होना चाहिए। इस सम्बंध में विवाद्यक संख्या–03 यथा–

03– क्या पक्षकारान की माता श्रीमती मनभरदेवी द्वारा दि. 03.12.2004 को वसीयत निष्पादित की गयी? –– प्रतिवादी संख्या–01

एवं विवाद्यक संख्या–04 यथा–

04– क्या वसीयत दिनांक 03.12.2004 को पारसमल द्वारा एवं अन्य वसीयत दिनांक 07.01.2008 व 08.01.2008 को श्रीमती मनभरदेवी द्वारा निष्पादित नहीं की गयी? –– प्रतिवादी संख्या–02 व 03

हस्तगत प्रकरण में जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा पेश कर यह अंकन किया गया है कि पारसमल द्वारा दिनांक 03.12.2004 को मनभर देवी के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया था तथा श्रीमती मनभर देवी द्वारा दिनांक 07.01.2008 व दिनांक 08.01.2008 को वसीयत निष्पादित की गई थी। ऐसे में उक्त तथ्य सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा अपने जवाब दावे में अंकन किये गये है साथ ही विवाद्यक संख्या–03 व 04 परस्पर विरोधी तथा अभिवचनों से विपरीत सहवन से विरचित हो गये है। चूंकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी तथ्य को उसी पक्षकार द्वारा सिद्ध करना होता है जिन्होंने उक्त तथ्य का प्राख्यान/प्रत्याख्यान किया हो तथा यदि दोनों में से किसी की ओर से कोई साक्ष्य न दी जावें तो वें असफल हो जावें। हस्तगत प्रकरण में यदि दोनों पक्षकारो द्वारा उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी वाद संख्या– 90/2017 जीतमल डाबरिया बनाम कुशलचंद वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्य के सम्बंध में साक्ष्य न दी जावें तो प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा पेश काउंटर क्लेम पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना है। ऐसे में उक्त विवाद्यक संख्या–03 व 04 को संशोधित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 आंशिक रूप से स्वीकार कर संशोधित विवाद्यक विरचित किये गये। आदेश सुनाया गया। संशोधित विवाद्यक पक्षकारान को सुनाये व समझाये गये। साक्ष्य वादी में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 10.08.2022 को पेश हो।	